414

संख्या : 1022/IV(2)-श0वि0-2015-108(सा0)14

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरपालिका परिषद, जसपुर को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जसपुर के पत्रांक- 159/ 2015-16/2015, दिनांक 18.06.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, जसुपर के क्षेत्रान्तर्गत **"फैज-ए-आम स्कूल से धर्मकांटे तथा वार्ड नं0 5 में जोशी के घर से नहर तक नाला निर्माण कार्य"** हेतु प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना निधि के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, जसपुर को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) द्वारा संस्तुत कुल ₹73.70 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में **₹20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि **₹20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, जसपुर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

III. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

IV. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

V. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे और स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

VI. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

VII. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

VIII. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

IX. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 03 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

X. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

..2/-....

XI. स्वीकृत निर्माण कार्य का अधिशासी अभियंता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर निरीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

XII. योजनान्तर्गत भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण अधिशासी अधिकारी एवं निकाय के अवर अभियन्ता द्वारा किये जाने के उपरान्त संस्तुति सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही नगर निकाय द्वारा आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

XIII. उपरोक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

XIV. कार्यों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा इस लागत में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

XV. धनराशि का दिनांक 31–3–2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹15.80 लाख, के **अनुदान सं0–30** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'42 अन्य व्यय के नामे ₹3.60 लाख, तथा के **अनुदान सं0–31** के लेखाशीर्षक– 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191– स्थानीय निक़ायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹0.60 लाख डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 286/XXVII(2)/2015, दिनांक 29.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.15081301.57, S.15083001116 एवं S.15083101117 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–1024(1)/IV(2)-श0वि0–2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।

3/–...

8. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जसपुर।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।